<u>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन</u>

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, संस्थान के कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग विषयों के साथ हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन **"राजभाषा अधिनियम व नियम का अनुपालन"** विषय के साथ दिनांक 21 फ़रवरी, 2023 [मंगलवार] को संस्थान के उत्तरी परिसर के हॉल-ए में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिन्दी प्रकोष्ठ में कार्यरत कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) श्री नितिन सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य से कार्यशाला का आरंभ किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम,

1976 पर बहुत सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने संविधान में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 प्रकार के दस्तावेज़ों को सही रूप में द्विभाषी जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देखा गया है कि दस्तावेज़ मूल रूप से अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं और उसके बाद आवश्यकतानुसार उनका हिन्दी अनुवाद तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्र का अभिप्राय ही समझ में नहीं आता और उसका आशय देखने के लिए अंग्रेज़ी संस्करण का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए, धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात एवं राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र अनिवार्यतः मूल रूप से हिन्दी में तैयार किए जाने चाहिए और आवश्यकतानुसार उनका अंग्रेज़ी अनुवाद कराया जाना चाहिए। चर्चा सत्र में अनेक कर्मचारियों ने कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) से उपर्युक्त विषय पर विभिन्न प्रश्न किए जिनका उन्होंने समाधान किया। कार्यशाला के अंत में कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

दूसरी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन **"हिन्दी टाइपिंग"** विषय पर दिनांक 3 मार्च, 2023 [शुक्रवार] को भा.प्रौ.सं. मंडी के उत्तरी परिसर की कंप्यूटर लैब में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया गया। कार्यशाला आरंभ करने हेतु कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), श्री नितिन सिंह तोमर ने भा.प्रौ.सं. मंडी के हिन्दी प्रकोष्ठ-प्रभारी डॉ. सौम्य

मालवीय जी का हार्दिक अभिनंदन किया तथा कार्यशाला हेतु उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

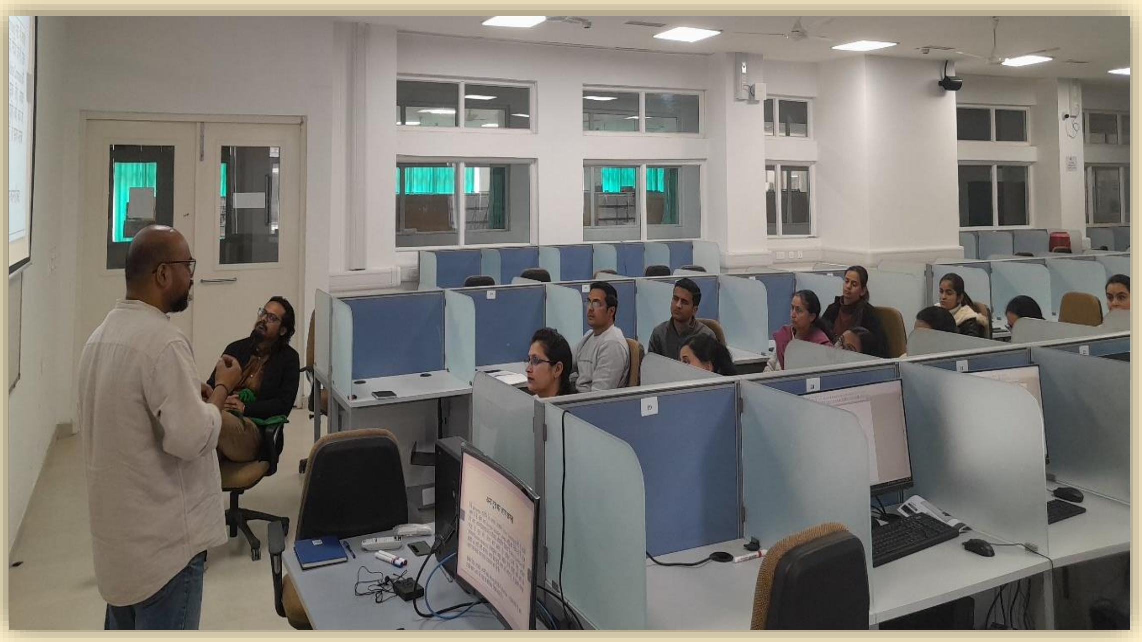

हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. सौम्य मालवीय जी के वक्तव्य द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उन्होंने सभी का अभिनंदन करते हुए संस्थान में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर दिया तथा राजभाषा के महत्त्व पर बल देते हुए हिन्दी कार्यशालाओं की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला।

आगे, कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) द्वारा कार्यशाला का संचालन किया गया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनाए जाने वाले हिन्दी टाइपिंग टूलों की जानकारी दी और पुरानी विधियों से टाइपिंग न करके आजकल प्रचलित नवीन टूलों (इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और इंडिक माइक्रोसॉफ़्ट टूल, फ़ोनेटिक्स, वॉइस कमांड टाइपिंग

आदि) का प्रयोग करके टाइपिंग करने पर बल दिया। अंत में, धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई।

तीसरी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन **“हिन्दी तिमाही/अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट”** विषय पर दिनांक 22 मार्च, 2023 [बुधवार] को संस्थान के उत्तरी परिसर के हॉल-बी में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया गया। कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा), श्री नितिन सिंह तोमर ने भा.प्रौ.सं. मंडी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, डॉ. अतुल धर, सह-प्राध्यापक, एसएमएमई का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उन्हें कार्यशाला का शुभारंभ करने हेतु अनुरोध किया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य महोदय जी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए संस्थान में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर दिया तथा राजभाषा के महत्त्व पर बल देते हुए हिन्दी कार्यशालाओं की अनिवार्यता पर

प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आजकल हिन्दी में सरलता से कार्य करने की नवीन विधियों की जानकारी संस्थान के कार्मिकों को होनी अनिवार्य है। यदि हम वर्तमान में किसी कार्यालयीन दस्तावेज़ पर 5 से 10 प्रतिशत कार्य भी हिन्दी में करते हैं तो उसे भी द्विभाषी माना जाता है। भविष्य में हो सकता है कि स्थिति ऐसी न रहे। उन्होंने हिन्दी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की वेबसाइट का कार्य देख रहे विंग स्टाफ से भी सहयोग लेने के लिए कहा। उन्होंने पूर्व में आयोजित कार्यशालाओं से भी लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अतुल धर जी ने यह भी सुझाव दिया कि सामान्य टिप्पणियों की जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में सभी अनुभागों को ई-मेल भेजने का भी सुझाव दिया।

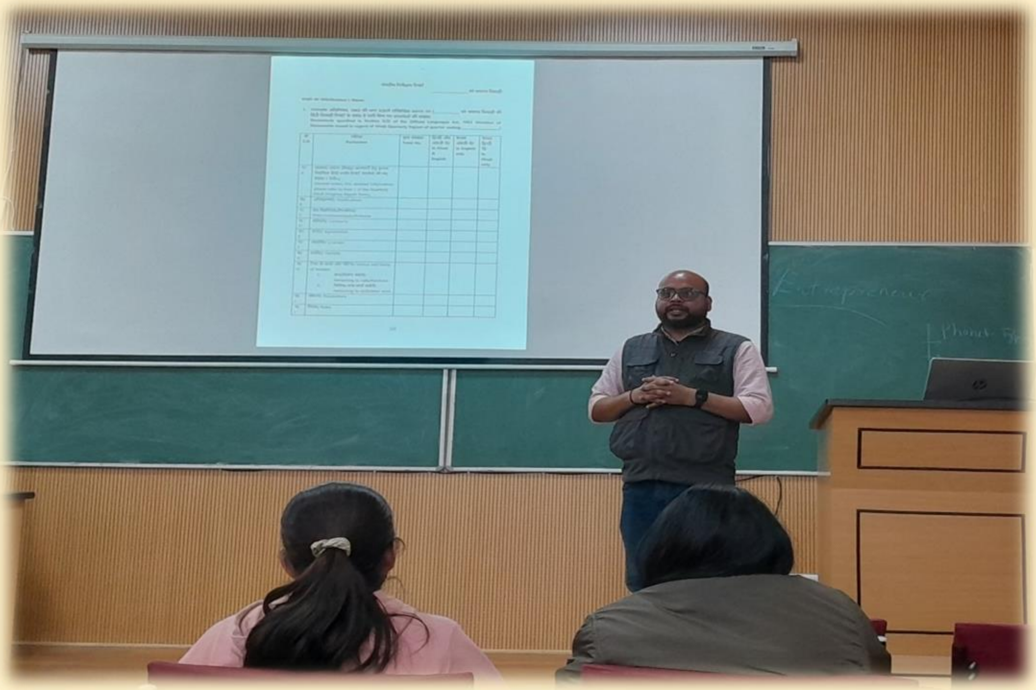

आगे, कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) ने कार्यशाला का संचालन करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनाए

जाने वाले हिन्दी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रारूपों को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हुए मदवार विस्तृत चर्चा भी की तथा अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से सभी को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान का लोगो, कर्मचारियों के पहचान पत्र भी द्विभाषी होने चाहिए। इसके अनुमोदन के लिए अभिशासक मण्डल को प्रस्ताव भेजने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, संस्थान में हिन्दी के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों ने अपने सुझाव दिए।

कनिष्ठ अधीक्षक (राजभाषा) ने कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया। अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की गईं ये तीनों हिन्दी कार्यशालाएँ सभी कार्मिकों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण रही। उपर्युक्त कार्यशालाओं के अंत में जलपान की भी व्यवस्था की गई थी।